भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1810

दिनांक 13.12.2023 को उत्तर देने के लिए

आवश्यक खनिजों के संरक्षण की रणनीति

1810. श्री धर्मेन्द्र कश्यप:

श्री विवेक नारायण शेजवलकर:

श्री सुदर्शन भगत:

श्री सुनील कुमार सिंह:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए आवश्यक खनिजों के संरक्षण हेतु कोई कार्य योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में शुरू किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): जी, हां। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में महत्वपूर्ण खनिजों या उनके निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता कुछ भौगोलिक स्थानों पर केंद्रित है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला भेद्य हो सकती है और यहां तक कि आपूर्ति में व्यवधान हो सकता है, केंद्र सरकार ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया है।

उक्त संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के नए भाग-घ में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण खनिजों, जिनमें कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, टैंटलम, टाइटेनियम आदि जैसे खनिज शामिल हैं, के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और संयुक्त लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। उक्त संशोधन का उद्देश्य

महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण और खनन में वृद्धि करना तथा उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा सहित कई क्षेत्रों की उन्नति के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। वे कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन को शक्ति देने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं जो 2070 तक भारत की 'निवल शून्य' प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आवश्यक होंगी।

महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की नीलामी से कई प्रमुख लाभ मिलते हैं, जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना, स्थायी संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना, खनन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और भारत की औद्योगिक एवं तकनीकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख उद्योगों का विकास शामिल है। यह इन खनिजों की एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने और 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की दिशा में एक कदम है तथा वर्धित आर्थिक विकास में योगदान देता है।

केंद्र सरकार ने दिनांक 29.11.2023 को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के 20 ब्लॉकों की ई-नीलामी की पहली श्रृंखला शुरू की है, जिसमें लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व, प्लैटिनम समूह के खनिज, निकल, पोटाश आदि के ब्लॉक शामिल हैं। इन ब्लॉकों की नीलामी का उद्देश्य इन खनिजों की स्थिर आपूर्ति की व्यवस्था करना है, इस प्रकार आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और अधिक सुरक्षित एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित होगी।

केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी के अलावा, महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों के गवेषण को और बढ़ावा देने के लिए 29 महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों हेतु एक नई खनिज रियायत नामतः गवेषण अनुज्ञप्ति शुरु की गयी है। सतही या थोक खनिजों की तुलना में कोबाल्ट, लिथियम, निकल, सोना, चांदी, तांबा जैसे महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों का पता लगाना और खनन करना कठिन है। देश अधिकतर इन खनिजों के आयात पर निर्भर है। नीलामी के माध्यम से दिया गया गवेषण लाइसेंस लाइसेंसधारक को एमएमडीआर अधिनियम की नई अंतर्विष्ट सातवीं अनुसूची में उल्लिखित महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण प्रचालन करने की अनुमति देगा।

एक सक्षम तंत्र बनाने के लिए गवेषण लाइसेंस प्रत्याशित है जिसमें छोटी-छोटी खनन कंपनियां गवेषण के अधिग्रहण, प्रसंस्करण और विवेचन की मूल्य श्रृंखला में पूरे विश्व से विशेषज्ञता लाएंगी और विशेषज्ञता एवं नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से गभीरस्थ खनिज निक्षेपों की खोज में जोखिम लेने की क्षमता का लाभ उठाएंगी।

*****